प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष-2023 प्र0सू0रि0 सं. ...151/2023....दिनांक 14-06-2023
2. (I) अधिनियम:- धारा 7, 7A, 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम ..... धारायें ...120बी भा.द.सं.....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .264..... समय ..6.00 P.M....

(ब) अपराध घटने का दिन- सोमवार, दिनांक 12.06.2023 समय 3.30 पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....01.06.2023.....

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित
5. घटनास्थल:- माई फेयर ग्रीन अपार्टमेन्ट के पास, सड़क आम, हीरापुरा, जयपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब पश्चिम करीब 14 कि0मी0

(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला .....

6. (i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम-श्री महेश चन्द शर्मा

(ब) पिता/पति का नाम- स्व. श्री रामजीलाल शर्मा

(स) जन्म तिथी- उम्र 30 साल

(द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय- प्राईवेट

(ल) पता- 73 बृजपुरी कॉलोनी, जगतपुरा, एयरपोर्ट रोड़, जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित:-

1. श्री राजेन्द्र कुमार मीना, तहसीलदार आँधी जिला जयपुर।
2. श्री गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र स्व0 श्री कालूराम मीणा, उम्र 48 साल, निवासी वार्ड नं. 2, ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जयपुर
3. श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा तहसील आंधी जिला जयपुर
4. केदार प्रसाद दर्जी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा, तहसील आंधी, जिला जयपुर
5. श्री रामकिशन मीना पुत्र श्री हरबक्श मीना, उम्र 50 साल, निवासी थली, आंधी, जयपुर हाल गिरदावर हल्का रायसर, जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- कुल 8,50,000/-रू0. (3,50,000 लाख मांग सत्यापन के दौरान दिलवाये गये व 5 लाख रूपये रिश्वत लेन-देन के दौरान प्राप्त किये गये)....

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 01.06.2023 को ब्यूरो मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुये कि ब्यूरो मुख्यालय पर परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर उपस्थित हुये है, आप इनकी शिकायत पर कार्यवाही करें जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उक्त व्यक्ति से सम्पर्क कर हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी से उसका पूर्ण नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री महेश चन्द शर्मा पुत्र श्री स्व0 राजीलाल शर्मा निवासी 73, बृजपुरी कॉलोनी, जगतपुरा, एयरपोर्ट रोड़, जयपुर बताया। परिवादी ने तहसीलदार आंधी द्वारा रिश्वत मांग के संबंध में शिकायत करते हुये एक स्वयं से हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। परिवादी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित किया कि ''सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी जयपुर (राज.) विषय- रिश्वत मांगने के खिलाफ कार्यवाही के लिए। महोदय, मै महेश चन्द शर्मा पुत्र श्री स्व. रामजीलाल शर्मा (निदेशक) यूवान गृह निर्माण ओपीएल, प्रा. लि0 जयपुर। मैने दिनांक 24.03.2023 को जरिये इकरारनामा राजस्व ग्राम रामपुराबास थली, तह0 आंधी में 15.3 बिघा जमीन, खसरा नं. 40,45 काश्तकार रघुवीरसिंह व अन्य से खरीदी थी। उक्त जमीन की पत्थरगढ़ी करने के लिए पूर्व काश्तकार रघुवीर सिंह तथा मेरे द्वारा तहसीलदार आंधी के कार्यालय में कई बार प्रार्थना-पत्र दिया। जिन पर पत्थरगढ़ी के आदेश हुये परन्तु पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नही की गई। मैने तहसीलदार साहब से सम्पर्क कर मालूम किया तो तहसीलदार साहब ने बताया कि शिकायत होने से पत्थरगढ़ी कैंसिल कर दी गई है। फिर मेरे द्वारा काश्तकार रघुवीर सिंह के जरिये दुबारा पत्थरगढ़ी की प्रार्थना-पत्र दी जिस पर दिनांक 20.05.2023 पत्थरगढ़ी के लिए तय की। दिनांक 20.05.2023 को हम सब मौके पर पहुंचे परन्तु तहसीलदार साहब व उनकी कोई टीम नही आई। वहां पर मौके पर मौजूद पूर्व सरपंच गिर्राज प्रसाद मीना ने हमसे बातचीत की और कहा कि पत्थरगढ़ी करवाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। जिस पर मैने गिर्राज प्रसाद मीना से पूरी बात जाननी चाही तो गिर्राज मीणा ने बताया कि आपका पत्थरगढ़ी का काम हो जायेगा परन्तु आपको तहसीलदार साहब राजेन्द्र कुमार मीणा को 15 लाख रूपये देने होंगे। फिर मैने पूर्व सरपंच को कहा कि मेरे सामने तहसीलदार साहब से बात करके बताओ जब ही मुझे विश्वास होगा जिस पर पूर्व सरपंच ने तहसीलदार साहब से व्हाट्सअप पर स्पीकर ऑन कर बात की तो तहसीलदार साहब ने गिर्राज मीणा द्वारा बताई गई रकम 15 लाख रूपये में पत्थरगढ़ी (सीमाज्ञान) करने के लिए हां कर दिया। जिस पर मैने दबाव में आकर कह दिया कि पत्थरगढी का काम हो जाऐगा उसके बाद आप कहोंगे वैसा कर देंगे। दिनांक 28.05.2023 को हमारा पत्थरगढ़ी का काम हो गया। पत्थरगढ़ी के दौरान मौके पर तहसीलदार आंधी राजेन्द्र मीणा, नायब तहसीलदार आंधी तथा पटवारी रामपुराबास थली, फुटालाव, पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा आदि लोग मौजूद थे। कल दिनांक 31.05.2023 को पूर्व सरपंच गिर्राज ने मुझे बार-बार फोन कर दबाव बनाया और कहा कि आज ही 3,50,000 रूपये तहसीलदार साहब को पहुचाओ बाकी बाद में दे देना और कहा कि गिरदावर आंधी पहुंचा दो वह तहसीलदार साहब को दे देंगे। जिस पर मैने कल दिनांक 31.05.2023 को 3,50,000 रूपये गिरदावर को खातीपुरा पुलिया, इंदिरा गांधी, जयपुर पर दे दिये। आज मै दिनांक 01.06.2023 को पूर्व सरपंच गिर्राज से मिला और मौके की फर्द रिपोर्ट की कॉपी मांगी तो उसने कहा कि अभी बाकी 11,50,000 रूपये तहसीलदार साहब और मांग रहे है। उसके बाद ही आपको फर्द रिपोर्ट देंगे। जिस पर मैने उसको बाद में देने के लिए कहा। गिर्राज मीणा ने फिर कहा अगर ये रकम नही दोंगे तो तलसीदार साहब आपकी जमीन की पत्थरगढ़ी

की कार्यवाही विवादित दिखाकर कैसिंल कर देंगे। तहसीलदार साहब राजेन्द्र कुमार मीणा मुझ पर उक्त राशि देने के लिए पूर्व सरपंच गिर्राज के मारफत बार-बार दबाव बना रहे है और कह रहे है कि दो दिन में कैसे भी व्यवस्था करके 11,50,000 रू. पहंचा दो नही तो कार्यवाही कैंसिल कर देंगे। मुझसे तहसीलदार आंधी राजेन्द्र मीणा, पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा के मार्फत रिश्वत मांग रहे है। जबकि मेरा काम सही व लीगल है। मैं उनको रिश्वत नही देना चाहता, महोदय आप कार्यवाही करें। दिनांक 01.06.2023 एसडी महेश चन्द शर्मा, महेश चन्द शर्मा पुत्र श्री स्व. रामजीलाल शर्मा, पता- 73 बृजपुरी कॉलोनी, जगतपुरा, एयरपोर्ट रोड़, जयपुर मो.नं.- 9024864556'' उक्त प्रार्थना-पत्र के संबंध में परिवादी से दरियाफ्त पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं यूवान गृह निर्माण प्रा. लि. जयपुर के नाम से फर्म चलाता हूं तथा मैं ही उक्त फर्म का डायरेक्टर हूँ। ग्राम पंचायत रामपुराबास थली का पूर्व सरपंच गिराज मीणा व तहसीलदार राजेन्द्र कुमार मीणा, तहसील आंधी, जयपुर मेरे से मेरी खरीदी हुई जमीन की पत्थरगढी के कागजात, फर्द रिपोर्ट आदि सुपुर्द करने की एवज में 15 लाख रूपये मांग कर परेशान कर रहे है। पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा मेरे से साढे तीन लाख रूपये तहसीलदार को देने के लिए गिरदावर श्री रामकिशन को दिनांक 31.05.2023 को दिलवा चुका है तथा साढे ग्यारह लाख रूपये रिश्वत के रूप में और मांग कर मुझे परेशान कर रहे है। पूर्व सरपंच गिर्राज मार्बल का व्यापार भी करता है जो काफी होशियार व चतुर व्यक्ति है। जब कभी पूर्व सरपंच, तहसीलदार राजेन्द्र कुमार मीणा से व्हाट्सअप कॉलिंग करता है तो कोडवर्ड (जैसे मार्बल आ गया, मार्बल देना है) में बातचीत करता है। मैं उपरोक्त सरपंच, गिरदावर व तहसलीदार को रूपये नही देना चाहता हूं। ये लोग मेरे से मेरे जायज व लीगल काम को करने के रूपये मांग कर मुझे परेशान कर रहे है व रूपये नही देने पर मेरे द्वरा गांव रामपुराबास थली में खरीदी हुई 15.03 बिघा जमीन में अड़चन पैदा कर पत्थरगढ़ी कैंसिल करने की धमकी दे रहे है। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 24.03.2024 व 27.03.2023 को हुये इकरारनामा, खसरा नक्शा व जमाबन्दी (प्रतिलिपि), दिनांक 13.04.2023 को कार्यालय तहसीलदार आँधी, जयपुर के आदेश कमांक 186-94 दिनांक 13.04.2023, पत्रांक 1357 दिनांक 02.05.2023, पत्रांक 184 दिनांक 11.05.2023 की प्रतिलिपि व अन्य संबंधित कागजातों की फोटोप्रतिया प्रस्तुत की है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अत: रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को एसीबी द्वारा की जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन के विषय में अवगत कराया गया तो परिवादी द्वारा बताया गया कि मै आज ही डांगरवाड़ा जाकर पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा से बातचीत कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूं। अत: सत्यापन की कार्यवाही करवाई जाकर जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। चूंकि परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा द्वारा दिनांक 01.06. 2023 को ही मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाना बताया है जिस पर कार्यालय के श्री सुभाष कानि. 592 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। संदिग्ध पूर्व-सरपंच गिर्राज मीणा, तहसीलदार राजेन्द्र कुमार मीणा एवं परिवादी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने हेतु श्री सुभाष कानि. को कार्यालय के मालखाना से एक विभागीय वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी प्राप्त कर परिवादी को उक्त वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। तदुपरान्त सुभाष कानि. को उक्त वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु निर्देशित कर समय 6.30 पीएम पर श्री सुभाष कानि. 592 को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा के साथ उसके निजी वाहन से आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया था जिस पर परिवादी व श्री सुभाष चन्द्र कानि. 8.30 पीएम पर डांगरवाडा पहुंचे जहां पर परिवादी को उसके जानकार श्री महेश के घर पर मांग सत्यापन हेतु समय 9.06 पीएम पर परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया, जो बाद मांग सत्यापन समय 9.30 पीएम पर वापस आया वॉइस रिकॉर्डर कानि. सुभाष को सुपुर्द किया। उक्त वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड

वार्ताओं को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो उसमें पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा द्वारा पविादी से रिश्वत के रूप में साढे तीन लाख रूपये लेकर गिरदावर रामकिशन के मार्फत तहसीलदार आंधी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को पहुंचाना, परिवादी से रिश्वत के साढे ग्यारह लाख रूपये लेकर सीधे तहसीलदार के पास जाने, आठ लाख रूपये देने व बाकी शाम तक देने, तहसीलदार के जयपुर स्थित निवास पर ही सुबह रूपये देकर आने, रूपयों को मार्बल के नाम से कोडवर्ड में बताना, तहसीलदार से टाईम दिलाने, रूपये नही देने पर तहसीलदार द्वारा परिवादी की इकरारनामा शुदा जमीन जिस पर पत्थरगढ़ी की जा चुकी है, की रजिस्ट्री नही कराने देने संबंधी आदि वार्ताएं रिकॉर्ड होना पाई गई है, मांग सत्यापन से संदिग्ध श्री गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन हुआ।

परिवादी द्वारा दिनांक 02.06.2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि पूर्व-सरपंच गिर्राज मीणा का मेरे पास तीन-चार बार फोन आया था, एक बार मैंने फोन उठाया तो उसने मुझसे कहा कि पैसों की व्यवस्था कर लो, मै जयपुर ही आया हुआ हूं, तहसीलदार जी मेरे पर रूपयों के लिए दबाव बना रहे है, अगर अभी पैसों की व्यवस्था हो गई हो तो अभी आ जाओ, चूंकि मेरे पास पैसो की व्यवस्था नही हुई है, अत: मै आज पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा से नही मिल सकता। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय हाजा से रूख्सत किया गया। गोपनीय कार्यवाही की विश्वसनियता को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान पाबन्ध करवाये गये। समय 6.00 पीएम पर परिवादी महेश चन्द शर्मा ने कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि पूर्व सरपंच का मेरे पास फोन आ रहा है जो मैने रिसिव नही किये, वो मेरे से तहसीलदार राजेन्द्र कुमार मीना के लिए रिश्वत के संबंध में बात कर सकता है। परिवादी द्वारा बताये अनुसार मांग सत्यापन के क्रम में पूर्व-सरपंच के फोन आने पर संदिग्ध वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय की अलमारी से वॉइस रिकॉर्डर मंगवाया गया। समय 6.49 पीएम पर परिवादी के मो.नं. मो.नं. 9024864556 से संदिग्ध पूर्व-सरपंच गिर्राज मीणा के मो.नं. 9588936660 पर वॉइस कॉल किया गया जिसको विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी के फोन का स्पीकर ओपन करवाया जाकर वार्ता करवाई गई, कुछ देर वार्ता होने के बाद पूर्व-सरपंच ने कॉल काट दी। उक्त कॉल को वॉइस रिर्काडर में रिकॉर्ड कर वॉइस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। उक्त वार्ता में पूर्व सरपंच ने बताया कि साब (तहसीलदार) को मै क्या जबाव दूं, आपके पास बैक में पैसे भी नही है, आप बहाने बाजी कर रहे है, अब हम उसको और नही रोक सकते, साब कल आपके द्वारा खरीदी हुई जमीन पर गड़बडी कर सकते है, हम साब को पैसे दे तो ही मिलेंगे, कल साब आपकी जमीन पर गफला करने के लिए आयेंगे, वगैरा-वगैरा बातचीत को विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त संदिग्ध वार्ताओं से प्रतित होता है कि तहसीलदार द्वारा परिवादी से रिश्वत के रूपये लेने के लिए पूर्व सरपंच पर काफी दबाव बनाया जा रहा है। अत: इस संबंध में परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई। उपरोक्तानुसार परिवादी एवं संदिग्ध पूर्व-सरपंच गिर्राज मीणा के मध्य कुछ देर वार्ता होने के बाद पूर्व सरपंच द्वारा कॉल काट दी गई थी, पूर्व सरपंच का कॉल बैक आने का इन्तजार किया गया, समय 7.07 पीएम पर परिवादी के मोबाईल पर संदिग्ध पूर्व-सरपंच का वॉइस कॉल आया जिसको परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुना गया जिसमें पूर्व सरपंच ने बताया कि तुम अभी अपना ऑरिजल एग्रीमेन्ट लेकर आ जाओ ताकि अपन जमीन के सौदे को कैन्सिल कर दे, आपको काश्तकारों से आपके लगे हुये पैसे वापस दिला देता हूं, तहसीलदार कल मामला बिगाड़ सकता है, आपके बस की बात नही है, साढे चार करोड़ का मामला है, आप ऑरिजल एग्रीमेन्ट लेकर डांगरवाड़ा आ जाओ, मै अभी मेरे मामा (ननिहाल) में हूं अब यहां से निकलूंगा, मै काश्तकारो से आपके पैसे आपको वापस दिला देता हूं जिससे आप फ्रि हो जावोगे और फिर में कही से तहसीलदार का जुगाड़ बैठा देता हूं। इस मामले में मेरी इन्सलेट (बेइज्जती) होती है। तहसीलदार को पूर्व में दिये हुये साढे तीन लाख रूपये आपको तुरन्त मै वापस दिलाने, पूर्व-सरपंच द्वारा बार-बार ऑरिजनल एग्रीमेन्ट लेकर परिवादी को गांव डांगरवाडा बुलाने, साढे तीन लाख रूपये गिरदावार के पास रखे होने, तहसीलदार को रिश्वत के रूप मे देने के लिए पन्द्रह

लाख की व्यवस्था नही होने, अभी आठ लाख रूपये दे दे तो आठ लाख रूपये तहसीलदार को देकर तहसीलदार को समझाने आदि वार्ताए की गई। उक्त वार्ताओं को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर वॉइस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। उक्त वार्ता में पूर्व-सरपंच द्वारा तहसीलदार को परिवादी से रिश्वत दिलाने, परिवादी द्वारा पूर्व में दिये गये साढे तीन लाख रूपये गिरदावर के पास रखे होने संबंधी तथ्य प्रकट हुये है। तदुपरान्त परिवादी को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया।

दिनांक 04.06.2023 को समय करीब 10.50 बजे परिवादी ने बताया कि पूर्व-सरपंच आज दोपहर में मेरे पास घर पर मिलने आ रहा है, जिस पर श्री सुभाष कानि. 592 मय वॉइस रिकॉर्डर के समय 11.15 एएम पर ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 11.50 एएम पर परिवादी के बताये स्थान हिरापुरा पावर हाउस, माई फेयर ग्रिन अपार्टमेन्ट के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी के निजी वाहन के पास एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई थी, उसके पास ही परिवादी व दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे जो कुछ समय पश्चात परिवादी के साथ माई फेयर ग्रिन अपार्टमेन्ट के अन्दर चले गये। संभवतया परिवादी ने मेरे को देख लिया था अत: मैं अपनी पहचान छुपाते हुये वही आस-पास खड़ा रहा, कुछ समय पश्चात परिवादी उक्त अपार्टमेन्ट के बाहर मेरे पास आया जिसने बताया कि अभी-अभी मेरे पास जो दो व्यक्ति खड़े थे उनमें से एक पूर्व-सरपंच गिर्राज मीणा था व दुसरा काश्तकार रघुवीरसिंह था जिनको मैं अपने साथ लेकर ऊपर अपने फ्लेट में बैठाकर आया हुं। संभवतया गिर्राज मीणा तहसीलदार से रिश्वत संबंध में मेरी फोन पर वार्ताए करवा दे या स्वयं रूपयों के संबंध में बात कर ले, अत: उक्त बातों को ध्यान में रखते हुये उनके मध्य होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को आवश्यक हिदायत कर समय 11.51 एएम पर वॉइस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया गया। मैं अपनी पहचान छुपाकर उसी स्थान के पास में मुकिम रहा। समय 12.59 पीएम पर परिवादी के आने पर उससे वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसमें वार्ताए रिकॉर्ड होना सुनिश्चत कर, बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। तदुपरान्त उक्त स्थान से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचा। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा वॉइस रिकार्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ताओं को सरसरी तौर पर सुना गया जिसमें परिवादी महेश चन्द शर्मा, काश्तकार रघुवीरसिंह व पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा के मध्य जमीन की रजिस्ट्री करवाने, परिवादी द्वारा डांगरवाडा में खरीदी गई उक्त जमीन पर निर्माण कार्य करने संबंधी अन्य अप्रासंगिक वार्ता एवं पूर्व-सरपंच गिर्राज मीणा द्वारा तहसीलदार को रिश्वत राशि देने के संबंध में कुछ संदिग्ध वार्ताएं होनी पाई गई।

कार्यालय में उपस्थित परिवादी से अब तक हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं दिनांक 01. 06.2023, 02.06.2023 व 04.06.2023 जो विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, के संबंध में तथ्य स्पष्ट किये गये एवं कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर उक्त दिनांक को हुई वार्ताओं में पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा, अन्य व्यक्ति व स्वयं की आवाज की पहचान करवाई गई।

दिनांक 08.06.2023 को परिवादी ने कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा आज अपने मार्बल के व्यवसाय हेतु उदयपुर गया हुआ है, जो सम्भवतया दिनांक 09.06.2023 को जयपुर या डांगरवाड़ा आ सकता है। आज मेरे पास मेरे जानकार महेश का फोन भी आया था जिसने बताया कि पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा ने मेरा नाम लेकर उससे एक लाख रूपये ले लिये है व बोला कि तहसीलदार को महेश पण्डित जी जब 15 लाख रूपये देंगे तो उसमें से काट लेना। परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था एक-दो दिनों में कर लूंगा, रूपयों की व्यवस्था होने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा।
दिनांक 09.06.2023 को परिवादी ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर बताया कि पूर्व-सरपंच गिर्राज मीणा आज उदयपुर से जयपुर आ गया है लेकिन मेरे पास अभी रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था नही हुई है, अत: मैं एक-दो दिन में रूपयों की व्यवस्था कर लूंगा। कल या परसो में पूर्व सरपंच को रिश्वत की राशि देने के संबंध में कार्यवाही हो सकती है। अत: परिवादी को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था करने व कार्यवाही

की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई एवं कार्यालय स्टाफ को भी गोपनीय कार्यवाही हेतु समय पर कार्यालय में आने हेतु पाबन्ध किया गया। दिनांक 10.06.2023 को पांबदशुदा दो स्वतंत्र गवाहान 1. श्री नितिन कुमार, कनिष्ठ अभियंता एवं 2. श्री दिनेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय हाजा में उपस्थित हुये है। परिवादी महेश चन्द शर्मा ने कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत कराया कि आज मेरे पास मेरे जानकार महेश मास्टर का फोन आया जिसने बताया कि सरपंच साहब गिर्राज मीणा के आज गांव डांगरवाड़ा में कॉलेज का उदघाटन है व कल उसके घर पर स्वामणी का प्रोग्राम है, अत: संदिग्ध गिर्राज मीणा एक-दो दिन बाद में ही जयपुर आयेगा। अब तक मेरे पास 5 लाख रूपयों की ही व्यवस्था हो पाई है, जो मैं आपको जब भी कार्यवाही की जायेगी उससे पूर्व सुपुर्द कर दूंगा, अत: परिवादी को आवश्यक हिदायत कर की गई। अत: दिनांक 12.06.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त परिवादी महेश चन्द शर्मा व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूख्स्त किया गया।

दिनांक 11.06.2023 को परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा, कार्यालय हाजा में उपस्थित हुआ था जिसने अपने मोबाईल से पूर्व-सरपंच गिर्राज मीणा के मोबाईल पर बात कर कल जयपुर आने के समय के बारे में बातचीत की है, पूर्व-सरपंच ने बताया कि वह कल सुबह 8-9 बजे जयपुर परिवादी महेश चन्द शर्मा के पास उसके फ्लेट पर पहुंच जायेगा। उक्त वार्ता को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई।

दिनांक 12.06.2023 को चौकी हाजा का समस्त स्टाफ, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी कार्यालय हाजा में उपस्थित हुये तथा आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश कुमार वर्मा एवं श्री नितिन कुमार गोयल से ब्यूरो हाजा द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित होने की सहमती प्राप्त कर परिवादी महेश चन्द शर्मा से दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय करवाया जाकर परिवादी महेश चन्द शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढ़वाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 7.00 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश कुमार वर्मा व श्री नितिन कुमार गोयल के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा पुत्र श्री स्व. रामजीलाल शर्मा, पता- 73 बृजपुरी कॉलोनी, जगतपुरा, एयरपोर्ट रोड़, जयपुर को संदिग्ध को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा ने अपने बैग में से निकालकर 500-500 रूपये 9 गड्डिया (प्रत्येक में 100 नोट) कुल 900 नोट राशि 4,50,000/-रूपये एवं 2000-2000 हजार के 25 नोट, राशि 50,000/-रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,00,000/- रूपये (पांच लाख रूपये मात्र, प्रचलित भारतीय मुद्रा) गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण पृथक से तैयार की गई फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी वाईस रिकॉर्डर में अंकित किया गया। फर्द में अंकित सभी 500-500 रूपये के नोटों व 2000-2000 रूपये के नोटो कुल राशि 5,00,000/- रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा के समक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. नं. 51, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर से एचएम कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर वहीं पर रखी एक टेबल पर अखबार बिछाकर उस पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाया गया व नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। पाउडर लगाने के बाद श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. से ही उक्त 500-500 रूपये के नोटो की 9 गडड्ीयां बनाकर (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) व 2000-2000 रूपये के 25 नोटो को एक साथ एक अखबार में लपेटकर, एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री दिनेश कुमार वर्मा से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल व जरूरी कागजातो के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं छोड़ी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 5 लाख रूपयों की प्लास्टिक की थैली को सीधे ही श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से परिवादी महेश चन्द शर्मा के हाथों में

सुपुर्द करवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि इन नोटों को वह अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध द्वारा मांगने पर ही उक्त नोटो की थैली को उसके समक्ष करें तथा संदिग्ध इस रिश्वत राशि को लेकर कहां रखता है, कहां जाता है इसका भी ध्यान रखें। साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को भी यथा सम्भव परिवादी के फ्लेट के आस-पास रहने की आवश्यक हिदायत की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये कांच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया एवं फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी वापस अलमारी में रखवाई गई व कांच के गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध हिरापुरा पावर हाउस, माई फेयर ग्रिन अपार्टमेन्ट में स्थित परिवादी के फ्लेट के अन्दर आयेगा और वहीं पर रिश्वत राशी का लेन-देन होगा अत: इस संबंध में परिवादी को हिदायत की गई कि पूर्व-सरपंच से लेन-देन की वार्ता के दौरान ही पूर्व-सरपंच व तहसीलदार के मध्य रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता करवाने का प्रयास कर तहसीलदार से सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरीकार्ड 32जीबी लगाया गया व सुरक्षा की दृष्टी से एक अतिरिक्त पेन ड्राईवनुमा वॉइस रिकॉर्डर मय 32जीबी नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को मौके पर देने हेतु श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होने के पश्चात परिस्थिती के अनुसार एक वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर फ्लेट से नीचे आकर सावधानीपूर्वक श्री सुभाष चन्द्र कानि. को सुपुर्द करें तथा दुसरे पेन ड्राईवनुमा वॉइस रिकॉर्डर को चालू ही रख अपने पास रखें। साथ ही परिवादी को हिदायत की गई कि तहसीलदार व सरपंच के मध्य होने वाली वार्ताओं को सुनने के पश्चात ही निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी। श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को उक्त दोनो वॉइस रिकॉर्डर (वॉइस रिकॉर्डर व पेन ड्राईवनुमा वॉइस रिकॉर्डर) के संबंध में हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध के पास जाये उससे पूर्व उक्त दोनो रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. नं. 51 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत की गई। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की पृथक से नियमानुसार फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी वाईस रिकॉर्डर तैयार की गई। समय 8.20 एएम पर मन् हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर मय श्री मनीष कुमार कानि. 315, श्री नमोनारायण कानि. 453, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री दिनेश कुमार वर्मा व श्री नितिन कुमार के सरकारी वाहन मय चालक श्री धर्मवीर सिंह के वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय हाजा से रवाना हुये। दुसरे सरकारी वाहन में श्री रामजीलाल एसआई, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99, श्रीमती पिंकी कंवर म.का. 11, श्रीमती रजनी मीना म0का0 127, श्री राजकुमार पटेल हैड कानि. 364 मय चालक श्री महेश कुमार नं. 249 को रवाना किया गया। साथ ही श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को परिवादी महेश चन्द शर्मा के साथ उसके निजी वाहन से रवाना कर आवश्यक हिदायत की गई। समय करीब 9.00 एएम पर मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक, मय ट्रेप टीम के परिवादी महेश चन्द शर्मा के बताये अनुसार हिरापुरा पावर हाउस के पास, माई फेयर ग्रीन अपार्टमेन्ट के आस-पास पहुंच अपनी पहचान छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाकर मुकिम हुये। समय 12.00 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि संदिग्ध पूर्व-सरपंच अपने साथ दो व्यक्तियों को लेकर आया है तथा वो तीनों परिवादी के अपार्टमेन्ट के नीचे पहुंच चुके है, जिस पर परिवादी महेश चन्द शर्मा को संदिग्ध व उसके मध्य होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने हेतु समय 11.55 एएम पर दोनो वॉईस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध से मिलने परिवादी के फ्लेट में रवाना कर दिया है तथा उसके पिछे-पिछ मै भी अपनी पहचान छुपाते हुये रवाना होकर उसके अपार्टमेन्ट के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के संदिग्ध से वार्ता कर आने के इन्तजार में मुकिम हो चुका हूं। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा हमराही ट्रेप टीम को अलर्ट किया गया। दर्ज रहे कि समय 11.55 एएम पर श्री सुभाष चन्द कानि. 592 द्वारा परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा को दो वॉइस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी के माई फेयर ग्रीन अपार्टमेन्ट में स्थित फ्लेट की ओर संदिग्ध से वार्ता करने हेतु रवाना किया गया था। मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी टीम भी परिवादी के माई फेयर ग्रीन अपार्टमेन्ट के आस-पास पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया। कुछ समय पश्चात परिवादी संदिग्ध व उसके साथ आये दोनो व्यक्तियों को साथ लेकर उक्त अपार्टमेन्ट के अन्दर चला गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम उक्त अपार्टमेन्ट के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के आने के इन्तजार में मुकीम हुये। समय 02.10 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया व वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि समय करीब 2.02 पीएम पर परिवादी महेश चन्द शर्मा अपने अपार्टमेन्ट से नीचे आकर वॉइस रिकॉर्डर बन्द कर मन् कानि. को सुपुर्द कर दिया था। कानि. द्वारा सुपुर्द किये गये वॉइस रिकॉर्डर को हमराह लेपटॉप में लगाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो वार्ता में संदिग्ध गिर्राज मीणा द्वारा रिश्वत लेन-देन की वार्ताओ के साथ साथ अपने मोबाईल से रामकिशन पटवारी के मोबाईल पर रिश्वत संबंधी वार्ता करना पाया गया तथा उक्त वार्ता के प्रत्युत्तर में पटवारी रामकिशन द्वारा भी रिश्वत लेने की सहमती दी गई। अत: रिश्वत राशि लेन-देन संबंधी वार्ताओं का सत्यापन होने के बाद आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये पुन: सुभाष चन्द्र कानि. को वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी को चालू कर देने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 2.40 पीएम कानि. ने बताया कि समय 2.36 पीएम पर वॉइस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया है। जिस पर परिवादी के पुन: अपार्टमेन्ट से नीचे आने के इन्तजार में मुकिम हुये। समय करीब 3.00 पीएम पर कानि. ने अवगत कराया कि परिवादी अपने अपार्टमेन्ट से नीचे आकर दोनो वॉइस रिकॉर्डर (वॉइस रिकॉर्डर व पेनड्राईवनुमा वॉइस रिकॉर्डर) बन्द कर मुझे सुपुर्द किया, जिसको मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रख लिया। कानि. ने बताया है कि परिवादी ने बताया है कि पूर्व सरपंच गिर्राज मीणा ने 5,00,000/रूपये अपने हाथो से पूर्व के ही अखबार में एवं उसी प्लास्टिक के थैली में डालकर एक नीले रंग की कैरी बैग में रखकर अभी तुरन्त अपनी कार से निकल रहे है जिस पर समय 3.10 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय टीम द्वारा संदिग्धो की कार को माई फेयर ग्रीन अपार्टमेन्ट के पास, सड़क आम पर ईशारा देकर साईड में रूकवाया गया तथा कार के अन्दर बैठे व्यक्तियों को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का व हमराही ट्रेप टीम का परिचय देकर अभी-अभी परिवादी महेश चन्द शर्मा से लिये गये पांच लाख रूपयों के बारे में पूछा तो कार में बैठे तीनो व्यक्ति सहम गये व कार से नीचे उतरने की कोशिश की, जिनको कार में ज्यो का त्यो बैठे रहने की हिदायत की गई व पांच लाख रूपयों के बारे में पुन: पूछा तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने उक्त रूपये कन्डेक्टर शीट के पीछे की जेब में रखे होना बताये। चूंकि उक्त स्थान काफी भीड़ भाड़ वाला है अत: सुरक्षा की दृष्टी से उक्त तीनो व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक हमराह सरकारी वाहन में बैठाकर पास में स्थित राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लि0, हीरापुरा के पास, अजमेर रोड़, जयपुर के कार्यालय में लेकर आये व आगे की कार्यवाही करने से पूर्व श्रीमान् जोनल चीफ इंजिनियर, आरवीपीएल, जयपुर से सहमती प्राप्त कर

कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उक्त कार की कन्डक्टर साईड सीट के पीछे की जेब को चैक किया गया तो उक्त जेब में एक नीले रंग का कैरीबेग में रखी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली जिसमें रूपयों का बण्डल अखबार में लपेटा पाया गया, जिनको सरसरी तौर पर चैक किया गया तो बण्डल में 500-500 रूपयो की नो गड्डियां व 2000-2000 के 25 नोट पाये गये। जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री दिनेश कुमार वर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया। तीनों संदिग्धों के मोबाईल फोन को कब्जा एसीबी लिया गया। श्री सुभाष कानि. द्वारा सुपुर्द किये गये दोनो विभागीय वॉइस रिकॉर्डरों को सरसरी तौर पर सुना गया तो एक वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत लेन-देन के वार्ताएं रिकॉर्ड होना पाई गई व तकनिकी कारणों से परिवादी को सुपुर्द किये गये पेन ड्राईवनुमा दुसरे वॉइस रिकॉर्डर में लेन-देन के दौरान संदिग्धों की आवाज रिकॉर्ड होना नही पाया गया। रिश्वत राशि लेन-देन की वार्तानुसार पटवारी रामकिशन को डिटेन करवाने हेतु श्री सुरेश कुमार स्वामी, डीवाईएसपी, एसीबी जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर मय टीम को निर्देशित किया गया। संदिग्ध पूर्व-सरपंच गिर्राज को नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र स्व0 श्री कालूराम मीणा, उम्र 48 साल, निवासी वार्ड नं. 2, ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जयपुर बताया, दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा तहसील आंधी जिला जयपुर तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम केदार प्रसाद दर्जी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा, तहसील आंधी, जिला जयपुर बताया। तत्पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध गिर्राज प्रसाद मीणा की कार नं. आरजे 29 सीबी 6959 की कन्डेक्टर सीट के पीछे की जेब में से बरामद पांच लाख रूपयो के संबंध में संदिग्ध गिर्राज प्रसाद मीणा, केदार प्रसाद एवं श्री महेश कुमार शर्मा के हाथो व कार की कन्डेक्टर सीट के पीछे की जेब के धोवन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उक्त कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के एक गिलास के घोल में संदिग्ध गिर्राज प्रसाद मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का झांईनुमा हो गया, जिसे समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का झांईनुमा होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे कांच के गिलास के घोल में संदिग्ध गिर्राज मीणा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त धोवन में फिनोफ्थलीन पाउडर की उपस्थिती हेतु पृथक से परीक्षण करवाया जायेगा। तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार विधि से संदिग्ध महेश कुमार शर्मा के हाथो का धोवन की कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर उपरोक्तानुसार घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के एक गिलास के घोल में संदिग्ध महेश कुमार शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क RM-1, RM-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे कांच के गिलास के घोल में

संदिग्ध के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क LM-1, LM-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त धोवन में फिनोफ्थलीन पाउडर की उपस्थिती हेतु पृथक से परीक्षण करवाया जायेगा। तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार विधि से संदिग्ध केदार प्रसाद दर्जी के हाथो का धोवन की कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर उपरोक्तानुसार घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के एक गिलास के घोल में संदिग्ध केदार प्रसाद दर्जी के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क RK-1, RK-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे कांच के गिलास के घोल में संदिग्ध के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया, जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क LK-1, LK-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त धोवन में फिनोफ्थलीन पाउडर की उपस्थिती हेतु पृथक से परीक्षण करवाया जायेगा। संदिग्ध गिर्राज प्रसाद मीणा की कार के कण्डेक्टर सीट की पीछे की जेब जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई थी, का धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर उक्त कांच के गिलास में उपरोक्तानुसार घोल तैयार कर एक कपड़े की चिन्दी को गिला कर कार की जेब पर अन्दर-बाहर रगड़ कर चिन्दी को कांच के तैयारशुदा घोल में डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क C-1, C-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में ली गई कपड़े की चिन्दी को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहन कर मार्क C अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त की गई समस्त कार्यवाहीयों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। संदिग्ध गिर्राज प्रसाद मीणा की कार जिसकी कण्डेक्टर सीट के पीछे की जेब से रिश्वत राशि 5 लाख रूपये बरामद किये गये है, उक्त कार नं. आरजे 29सीबी 6959 को नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। संदिग्ध गिर्राज प्रसाद मीणा की कार नं. आरजे 29 सीबी 6959 की कन्डेक्टर सीट के पीछे की जेब में से बरामद पांच लाख रूपये जो अखबार, पारदर्शी प्लास्टिक की थैली व एक नीले रंग के कैरी बैग सहित स्वतन्त्र गवाह श्री दिनेश कुमार वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को गिना गया तो उक्त नोटो में 500-500 रूपये 9 गड्डिया (प्रत्येक में 100 नोट) कुल 900 नोट राशि 4,50,000/-रूपये एवं 2000-2000 हजार के 25 नोट, राशि 50,000/-रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,00,000/- रूपये (पांच लाख रूपये मात्र, प्रचलित भारतीय मुद्रा) के बरामद हुये जिनका मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाए गए। बरामद अखबार, पारदर्शी प्लास्टिक की थैली व निले रंग के कैरी बैग पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क-PT अंकित किया गया। संदिग्ध श्री गिर्राज प्रसाद मीणा की कार की कण्डेक्टर सीट की पीछे की जेब से बरामद उपरोक्त रिश्वती कुल राशि 5,00,000/- रूपये

में से 500-500 रूपये नम्बरी नोटो की नो गड्डिया (प्रत्येक में 100 नोट) बनाई गई, प्रत्येक गड्डी को एक-एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सिल चिट मोहर कर मार्क-क्रमश: M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8 एवं M-9 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। इसी प्रकार 2000-2000 हजार के 25 नोटों की एक गड्डी बनाकर एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सिल चिट मोहर कर मार्क-M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। संदिग्ध श्री गिर्राज मीणा को 5 लाख रूपये लेने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उक्त रूपये श्री महेश चन्द शर्मा द्वारा गांव डांगरवाड़ा में खरीदी हुई जमीन के काश्तकारों को देने के लिए मुझे दिये थे, जो मै आज महेश चन्द्र शर्मा से लेने उसके फ्लेट पर आया था तथा मेरे साथ गांव डांगरवाड़ा के श्री महेश शर्मा व केदार प्रसाद को भी लेकर आया था, जिस पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि गिर्राज जी झूठ बोल रहे है। मैने करीब ढाई महिने पहले गांव रामपुरावास थली में 15.03 बिघा जमीन काश्तकार भरतसिंह, जयसिंह, रघुवीरसिंह वगैरा से 32,00,000 रूपये प्रति बिघा के हिसाब से जमीन खरीद का इकरारनामा किया था। उक्त जमीन पर दिनांक 26.05.2023 से 28.05.2023 तक तहसीलदार राजेन्द्र कुमार मीना, नायब तहसीलदार आंधी, भू अभिलेख निरीक्षक आंधी वगैरा की मौजूदगी में पत्थरगढी की कार्यवाही की गई थी। उक्त कार्यवाही की फर्द मौका रिपोर्ट देने की एवज में गिर्राज प्रसाद मीणा ने मेरे से तहसीलदार आंधी श्री राजेन्द्र कुमार मीना को देने के लिए 15 लाख रूपये मांग थे, उक्त रूपयों के लिए गिर्राज प्रसाद मीणा मेरे ऊपर बार-बार फोन कर दबाव बनाकर 3,50,000 रूपये तहसीलदार साहब को देने के लिए किसी गिरदावर मीणा जी को दिलवाये थे। उक्त के संबंध में संदिग्ध गिर्राज मीणा को पूछा गया तो उसने बताया कि आंधी तहसीलदार राजेन्द्र जी मीणा पत्थरगढ़ी करवाने के 15 लाख रूपये मांग रहा था, जिस पर मैने उक्त रूपयों के बारे में महेश चन्द शर्मा को बताया था कि तहसीलदार राजेन्द्र जी मीणा को पत्थरगढ़ी करने के 15 लाख रूपये देने पड़ेगे, जिस पर मैने महेश चन्द शर्मा से ओमप्रकाश जी मीणा गिरदावर को 3,50,000 रूपये दिलवाये थे। आज मेरे गांव के महेश कुमार शर्मा ने बताया था कि आज महेश चन्द शर्मा जयपुर बुला रहा है पैमेन्ट देने के लिए जिस पर मै आज महेश शर्मा, केदार प्रसाद को लेकर जयपुर महेश चन्द शर्मा से 5,00,000 रूपये लेकर तहसीलदार को देने कैम्प कोलीवाड़ा में जा रहा था, तहसीलदार को मैने उक्त रूपयों के बारें में रूपये लेने के बाद जरिये व्हाट्सअप बताना चाहा लेकिन तहसीलदार जी ने मेरा फोन नही उठाया। महेश चन्द शर्मा ने मेरे को बताया कि 5 लाख तो ये ले जाओ और साढे छ: लाख रूपये मेरे जगतपुरा ऑफिस से ले जाना। मुझे उक्त पांच लाख रूपये लेकर जगतपुरा जाकर वहां से साढे छ: लाख रूपये लेकर तहसीलदार राजेन्द्र कुमार मीना को देने कोलीवाड़ा की ओर जाना था। इसी दौरान परिवादी महेश चन्द शर्मा ने बताया कि गिर्राज मीणा मेरे पर बार-बार साढे ग्यारह लाख रूपये तहसीलदार को दिलवाने का दबाव बना रहा था इसलिए मैने 5 लाख रूपये देकर साढे छ: लाख रूपये मेरे ऑफिस से लेने के बारे में बनावटी बातें की थी। संदिग्ध गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा तहसीलदार आंधी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के लिए परिवादी महेश चन्द शर्मा के द्वारा ग्राम पंचायत थली में खरीद की हुई 15.03 बिघा जमीन की पत्थरगढ़ी की फर्द मौका रिपोर्ट देने की एवज में दिनांक 01.06.2023, 02.06.2023 एवं 04.06.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मांगे गये 15 लाख रूपये के अनुसरण में आज दिनांक 12.06.2023 को रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान 5 लाख रूपये रिश्वत के रूप में लेने का अपराध करना पाया गया है। इसी प्रकार केदार प्रसाद दर्ज से उक्त रूपयों के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि महेश चन्द शर्मा ने राजपुरावास थली में 15 बीघा जमीन खरीदी थी। आज गिर्राज प्रसाद मीणा और महेश मास्टर जी में मुझे जयपुर चलने के लिए कहा, मै पहले से ही पंखा खरीदने के लिए जयपुर जा रहा था तो उनके साथ मै भी जयपुर महेश चन्द शर्मा के घर उनके साथ आ गया। वहां पर महेश जी मास्टर साब व गिर्राज प्रसाद मीणा ने काश्तकारों को बकाया पैसे देने की बात की थी और काश्तकारों के पैसे जगतपुरा ऑफिस से लेने की बात हुई थी। गिर्राज प्रसाद मीणा, तहसीलदार साहब को दिये जाने वाले पैसों की बात महेश चन्द

शर्मा से कर रहे थे इसलिए उन्होने इस बारे में रामकिशन पटवारी से भी फोन पर बात की, उन लोगो की बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि पत्थरगढ़ी की फर्द मौका अभी तक तहसीलदार साहब ने नही दी और उसी को देने के लिए गिर्राज प्रसाद मीणा, तहसीलदार साहब को देने के लिए 5 लाख रूपये महेश शर्मा जगतपुरा वाले से लिये थे, उन लोगो की बातचीत से पता चला कि तहसीलदार साहब ने गिर्राज प्रसाद मीणा के मार्फत पत्थरगढ़ी के 15 लाख रूपये मांगे थे जिनमें से साढ़े तीन लाख रूपये इन्होने पहले दे दिये बताये और बाकी के आज गिर्राज प्रसाद मीणा को देने थे। महेश चन्द शर्मा ने गिर्राज प्रसाद मीणा को जब रूपयों की गड्डीयां दी तो गिर्राज प्रसाद मीणा ने मुझे व महेश मास्टर को उक्त रूपये गिनने के लिए कहा था। जिस पर हमने रूपये गिनने में सहयोग किया था। मेरे को पूर्व से इन रूपयों के बारे में कोई जानकारी नही थी, मैने तो सिर्फ रूपये गिनने में इनका सहयोग किया है, मैने ना तो पैसे लिये और ना ही मैने इनसे रूपये मांगे थे। उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण से संदिग्ध कैदार प्रसाद दर्जी द्वारा रिश्वत राशि तहसीलदार को देने के तथ्यो का ज्ञान होने के उपरान्त भी उक्त रिश्वत राशि 5 लाख रूपये रिश्वत राशि गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा प्राप्त करने में सहयोग करना पाया गया। अत: केदार प्रसाद दर्जी का उक्त अपराध में संलिप्त होना पाया गया है। तत्पश्चात श्री महेश कुमार शर्मा से उक्त रिश्वती राशि 5 लाख रूपयों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि आज गिर्राज प्रसाद मीणा व मै महेश चन्द शर्मा के पास जयपुर आ रहे थे तो केदार भी जयपुर आने की कह रहा था जिस पर गिर्राज प्रसाद मीणा ने केदार को भी साथ लेकर जयपुर आ गया। मैने पूर्व में महेश चन्द शर्मा को जमीन दिलवाई थी इसलिए मै महेश चन्द शर्मा को जानता हूं और ये मेरे रिश्तेदार भी है। गिर्राज प्रसाद मीणा से मेरी सिर्फ छोटी-मोटी जानकारी है। इनके परिवार में पहले कोई सरपंच रहा था इसलिए इनको पूर्व सरपंच भी कहते है। करीब तीन महिने पहले महेश चन्द शर्मा ने रामपुरावास थली में 15 बिघा 3 बिस्वा जमीन खरीदी थी। उक्त ज़मीन की पत्थरगढ़ी व सीमा ज्ञान करवाने के लिए गिर्राज प्रसाद मीणा ने महेश चन्द शर्मा से कोई पैसे लेन-देन की बात की थी। गिर्राज प्रसाद मीणा से महेश चन्द शर्मा से कहा था कि पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार साहब को खर्चा देना पड़ेगा जिस की एवज में गिर्राज प्रसाद मीणा ने महेश चन्द शर्मा से 15 लाख रूपये मांगे थे। आज मै गिर्राज प्रसाद के साथ महेश चन्द शर्मा के पास जयपुर उनके फ्लैट पर आया था। यहां आने के बाद गिर्राज प्रसाद मीणा ने काश्तकारों को बकाया पैसे देने की बात की थी जिस पर महेश चन्द शर्मा ने काश्तकारों के पैसे जगतपुरा ऑफिस से लेने की बात की थी। गिर्राज प्रसाद मीणा, तहसीलदार साहब को दिये जाने वाले पैसों की बात महेश चन्द शर्मा से कर रहे थे इसलिए उन्होने इस बारे में रामकिशन पटवारी से भी फोन पर बात की थी व महेश चन्द शर्मा की बात भी करवाई थी। आज हमारे बिच हुई बातों से मेरे को पता चला कि तहसीलदार साहब ने गिर्राज प्रसाद मीणा के मार्फत पत्थरगढ़ी के 15 लाख रूपये मांगे थे जिनमें से साढ़े तीन लाख रूपये महेश चन्द शर्मा ने सरपंच के कहने पर पहले ही किसी मीणा जी पटवारी जिसको मै नही जानता हूं, दे दिये बताये और बाकी के आज गिर्राज प्रसाद मीणा को देने थे। महेश चन्द शर्मा ने गिर्राज प्रसाद मीणा को जब रूपयों की गड्डीयां दी तो गिर्राज प्रसाद मीणा ने मुझे व केदार को उक्त रूपये गिनने के लिए कहा था। जिस पर हमने रूपये गिनने में सहयोग किया था। मेरे को पूर्व से इन रूपयों के बारे में कोई जानकारी नही थी, मैने तो सिर्फ रूपये गिनने में इनका सहयोग किया है, ना तो मैने पैसे लिये और ना ही मैने इनसे रूपये मांगे थे। उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण से संदिग्ध महेश चन्द शर्मा द्वारा रिश्वत राशि तहसीलदार को देने के तथ्यो का ज्ञान होने के उपरान्त भी उक्त रिश्वत राशि 5 लाख रूपये गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा प्राप्त करने में सहयोग करना पाया गया। अत: महेश चन्द शर्मा का उक्त अपराध में संलिप्त होना पाया गया है। इसी दौरान श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो मय टीम में एक व्यक्ति को डिटेन कर अपने साथ लाकर मन् अतिरिक्त पुलिस के समक्ष पेश किया जिसके बारे में श्री उप अधीक्षक पुलिस ने बताया कि निर्देशानुसार श्री रामकिशन, गिरदावर को तहसील आंधी से डिटेन कर हमराह लाये है। अत: श्री रामकिशन, गिरदावर से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम

रामकिशन मीना पुत्र श्री हरबक्श मीना, उम्र 50 साल, निवासी थली, आंधी, जयपुर हाल गिरदावर हल्का रायसर, जयपुर बताया। आगे पूछने पर बताया कि मैने ना तो रिश्वत ली है व ना ही रिश्वत की मांग की है, मेरे को जबरदस्ती इस कार्यवाही में फसाया जा रहा है एवं मैने कभी भी गिर्राज मीणा या महेश चन्द शर्मा से रूपयों की मांग नही की। जिस पर उपस्थित परिवादी रमेश चन्द शर्मा ने रामकिशन मीना को बिच में टोकते हुये कहा कि दिनांक 01.06.2023 को गिर्राज मीणा ने मेरे को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान कहा था कि आज मै साढे ग्यारह लाख रूपये लेकर डांगरवाड़ा आ रहा हूं और उक्त रूपयों के बारे में मैने (गिर्राज मीणा ने) रामकिशन को बता दिया है, रामकिशन ने तहसीलदार को बता दिया है तथा आज दिनांक 12.06.2023 को गिर्राज प्रसाद मीणा के मोबाइल से रामकिशन मीणा के मोबाईल पर व्हाट्सअप कॉल किया था जिसमें गिर्राज ने व मैने रामकिशन से बात की थी, गिर्राज मीणा ने मेरे से पैमेन्ट अपने हाथ में लेने, मेरे से बात कर सन्तुष्ट करने व इसने मुझे फाल्ट कहा था कि साब (तहसीलदार जी) मेरे से नाराज है। उक्त बातों के संबंध में रामकिशन ने अनभिज्ञता जाहिर की तो विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त वार्ताओं को रामकिशन मीना को सुनाई गई तो वार्ता सुनने के पश्चात रामकिशन ने स्वयं से गलती हो गई कहकर नजरे झूका ली। आज रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई वार्ता में रामकिशन गिरदावर ने दिनांक 01.06.2023 को गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा कही गई बातों को भी दोहराना पाया गया है। अत: श्री रामकिशन मीना, गिरदावर के विरूद्ध श्री गिर्राज प्रसाद मीणा के साथ मिलकर तहसीलदार आंधी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के लिए रिश्वत लेने के तथ्य प्रमाणित है। आरोपी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.06.2023, 02.06.2023, 04.06.2023 एवं लेन-देन दिनांक 12.06.2023 को हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो विभागीय मिनी वॉईस रिकॉडर में रिकॉर्ड है, उक्त रिकॉर्डेड आवाज को श्री गिर्राज प्रसाद मीणा को सुनाई गई तो एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज महेश चन्द शर्मा की होना पहचान की। उक्त रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। आरोपी श्री केदार प्रसाद दर्जी को रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 12.06.2023 को स्वयं व अन्य संदिग्ध आरोपीयों के मध्य हुई वार्ता जो विभागीय मिनी वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त रिकॉर्डेड आवाज को श्री केदार प्रसाद दर्जी को सुनाई गई तो उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में स्वयं की आवाज को पहचाना, उक्त रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा को रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 12.06.2023 को स्वयं व अन्य संदिग्ध आरोपीयों के मध्य हुई वार्ता जो विभागीय मिनी वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त रिकॉर्डेड आवाज को श्री महेश कुमार शर्मा को सुनाई गई तो उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में स्वयं की आवाज को पहचाना, उक्त रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। आरोपी श्री रामकिशन मीना, गिरदावर को रिश्वत लेन-देन दिनांक 12.06.2023 के दौरान मोबाईल पर आरोपी गिर्राज प्रसाद मीणा व स्वयं के मध्य हुई वार्ता जो विभागीय मिनी वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त रिकॉर्डेड आवाज को श्री रामकिशन मीना को सुनाई गई तो उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में स्वयं की आवाज को पहचाना, उक्त रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी (1) श्री गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र स्व0 श्री कालूराम मीणा, उम्र 48 साल, निवासी वार्ड नं. 2, ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी महेश चन्द शर्मा द्वारा ग्राम पचांयत रामपुरावास थली में खरीद की हुई 15.03 बिस्वा जमीन की पत्थरगढ़ी की फर्द मौका रिपोर्ट दिलवाने की एवज में तहसीलदार आंधी श्री राजेन्द्र कुमार मीना के लिए दिनांक 01.06.2023, 02.06.2023 एवं 04.06.2023 को हुई 15 लाख रूपये रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में दिनांक 12.06.2023 को पांच

लाख रूपये प्राप्त करने, आरोपी (2) महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा तहसील आंधी जिला जयपुर, आरोपी (3) केदार प्रसाद दर्जी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा, तहसील आंधी, जिला जयपुर द्वारा आरोपी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा के उक्त अपराध में सहयोग करने एवं आरोपी (4) रामकिशन मीना पुत्र श्री हरबक्श मीना, उम्र 50 साल, निवासी थली, आंधी, जयपुर हाल गिरदावर हल्का रायसर, जयपुर द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुये श्री गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा तहसीलदार आंधी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के लिए रिश्वत लेने के कृत्य में सहयोग करने के तथ्य प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्तानुसार चारो आरोपीगण 1. श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, 2. महेश कुमार शर्मा, 3. केदार प्रसाद दर्जी (तीनों प्राईवेट व्यक्तियों) एवं 4. श्री रामकिशन मीना, गिरदावर को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 व 120बी भा.द.सं. नियमानुसार पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा को हमराह लेकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटना-स्थल का नक्शा-मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन के समय विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की गई। आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई। उक्त समस्त कार्यवाही, फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा ने पूछताछ में बताया कि वक्त लेन-देन के दौरान उसके द्वारा पांच लाख रूपये लेने के बारे में तहसीलदार को जरिये व्हाट्सअप कॉल कर बताना चाहा था लेकिन तहसीलदार ने फोन नही उठाया। इसी क्रम में आरोपी गिर्राज प्रसाद मीना के मोबाईल फोन से पुनः तहसीलदार से जरिये व्हाट्सअप कॉल 5.13 पीएम व 5.15 पीएम पर करवाया गया तो तहसीलदार द्वारा उक्त दोनो कॉल डिकलाईन की तथा पुनः समय 6. 02 पीएम पर व्हाट्सअप कॉल करवाया गया तो नोट आन्सवर्ड रहा। उक्त कॉल को वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। मोबाईल पर नॉर्मल कॉल की गई जिनको भी रिसीव नही किया। उक्त तथ्य से तहसीलदार राजेन्द्र कुमार मीना को एसीबी कार्यवाही का आभास होने से उक्त कॉल अटैण्ड नही करना प्रतित होता है। जबकि दिनांक 12.06.2023 को ही आरोपी गिर्राज प्रसाद मीणा के मोबाईल नम्बर पर सुबह 8.54 एएम से 9.09 एएम तक कुल 5 व्हाट्सअप कॉल श्री राजेन्द्र कुमार मीना के होना पाये गये है उक्त कॉल आरोपी श्री गिर्राज प्रसाद मीना द्वारा नही उठाये गये, 9.15 एएम पर तहसीलदार से नॉर्मल कॉल पर बात होना प्रकट हुआ। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में लिये गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत लेन-देन के समय रिकॉर्ड की गई वार्ताओं की वॉइस क्लिप्स का नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व सीडीयां तैयार की गई। प्रकरण में अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी प्राईवेट व्यक्ति श्री गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र स्व0 श्री कालूराम मीणा, उम्र 48 साल, निवासी वार्ड नं. 2, ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जयपुर विरूद्ध परिवादी महेश चन्द शर्मा द्वारा ग्राम पचांयत रामपुरावास थली में खरीद की हुई 15.03 बिस्वा जमीन की पत्थरगढ़ी करवाने एवं उक्त कार्यवाही की फर्द मौका रिपोर्ट दिलवाने की एवज में तहसीलदार आंधी श्री राजेन्द्र कुमार मीना के लिए दिनांक 01.06.2023, 02.06.2023 एवं 04.06.2023 को हुई 15 लाख रूपये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसरण में दिनांक 12.06.2023 को पांच लाख रूपये प्राप्त करने, आरोपीगण श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा तहसील आंधी एवं श्री केदार प्रसाद दर्जी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा, तहसील आंधी द्वारा आरोपी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा के उक्त अपराध में सहयोग करने तथा आरोपी लोकसेवक श्री रामकिशन मीना पुत्र श्री हरबक्श मीना, उम्र 50 साल, निवासी थली, आंधी, जयपुर हाल गिरदावर हल्का रायसर, जयपुर द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुये श्री गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा तहसीलदार आंधी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के लिए रिश्वत लेने के कृत्य में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित जाने पर उपरोक्तानुसार चारो आरोपीगण 1. श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, 2. महेश कुमार शर्मा, 3. केदार प्रसाद दर्जी (तीनों

प्राईवेट व्यक्तियों) एवं 4. श्री रामकिशन मीना, गिरदावर को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 व 120बी भा.द.सं. नियमानुसार पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत लेन-देन वार्ताओं से प्रकट हुये तथ्यों के अनुसार आरोपी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा द्वारा रिश्वत राशि श्री राजेन्द्र कुमार मीना, तहसीलदार आँधी के लिए मांग कर प्राप्त करना प्रकट हुआ है। अत: श्री राजेन्द्र कुमार मीना के खिलाफ परिवादी के वैध कार्य पत्थरगढ़ी की कार्यवाही एवं उक्त कार्यवाही की फर्द मौका रिपोर्ट देने की एवज में रिश्वत मांग करना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है।

मांग सत्यापन वार्ताओं से अन्य संदिग्ध श्री ओमप्रकाश मीणा गिरदावर के विरूद्ध तहसीलदार आँधी श्री राजेन्द्र कुमार मीना के लिए रिश्वत राशि प्राप्त करने के संदिग्ध तथ्य प्रकट हुये है, इनके संबंध में अनुसंधान से स्थित स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

अत: आरोपीगण (1) श्री राजेन्द्र कुमार मीना, तहसीलदार आँधी, (2) प्राईवेट व्यक्ति श्री गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र स्व0 श्री कालूराम मीणा, उम्र 48 साल, निवासी वार्ड नं. 2, ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी, जयपुर (3) श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा तहसील आंधी जिला जयपुर, (4) श्री केदार प्रसाद दर्जी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा, तहसील आंधी, जिला जयपुर एवं (5) लोक सेवक श्री रामकिशन मीना पुत्र श्री हरबक्श मीना, उम्र 50 साल, निवासी थली, आंधी, जयपुर हाल गिरदावर हल्का रायसर, जयपुर के विरूद्ध धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 व 120बी भा.द.सं. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(हिमांशु)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री राजेन्द्र कुमार मीना, तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर 2. श्री गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र स्व. श्री कालूराम मीणा, निवासी वार्ड नं0 2, ग्राम थली, पुलिस थाना आंधी जयपुर 3. श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा 4. श्री केदार प्रसाद दर्जी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम पोस्ट डांगरवाड़ा, तहसील आंधी, जयपुर 5. श्री रामकिशन मीना, हाल गिरदावर हल्का रायसर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 151/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14/6/23
(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1139-43 दिनांक 14.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम संख्या-1, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

14/6/23
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।